संख्या-सी0 1535/सा0-पाच-1-20..18

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या:-1299/78-1-2018-65आई0टी0/2017

69/2018
सी-1

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

लखनऊ: दिनांक: 03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2018

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1

विषयः- देश में डिजिटल लॉकर खुलवाने एवं उपयोगिता/सुविधा से आम जनमानस को सूचित/लाभान्वित कराने के लिये अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम का उद्‌घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.07.2015 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने से सम्बन्धित अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

2- डिजिटल लॉकर सिस्टम का उपयोग कर नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मार्क शीट्स, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र इत्यादि को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये दस्तावेजों के नष्ट होने/खो जाने की स्थिति में कमी लाता है। इस सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है।

3- डिजिटल लॉकर सिस्टम क्लाउड तकनीक पर आधारित डिजिटल माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने तथा प्रमाणीकरण/सत्यापन की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके लाभ निम्नवत् हैः-

(i) इस योजना के अन्तर्गत अभिलेखों को डिजिटल रूप में संरक्षित रखने की व्यवस्था है।

(ii) यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने, खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति से आजादी प्रदान करता है।

(iii) डिजिटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। साथ ही अभिलेख पूर्णतया सुरक्षित एवं गोपनीय रखे जाते है।

(iv) आवश्यकता पड़ने पर जारी करने वाले विभाग से रियल टाइम बेसिस पर प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने की व्यवस्था है जिसमें सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को सत्यापन कार्य रिपोर्ट्स समय व धन की बचत के साथ-साथ कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाते हुए सरकारी विभागों के प्रशासनिक प्रक्रिया में सुविधा होती है।

(v) डाक्यूमेन्ट/प्रपत्रों के भौतिक प्रति की बाध्यता एवं कठिनाई, जारी करने वाले विभागों, प्रमाणित करने वाले विभागों के साथ-साथ आम जनमानस के लिये समाप्त होती है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध 6.50 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्रों, राज्य परिषद व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा लगभग 4 लाख सर्टिफिकेट, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 50,000 से अधिक सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी क्रम में प्रदेश के ऐसे सभी विभाग जोकि प्रमाण पत्रों को जारी कर रहें है एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित/सत्यापित कर रहें है, उनको डिजिटल लॉकर सिस्टम के साथ (Push & Pull APIs पद्धति के माध्यम से) इन्टीग्रेटेड किया जाना है।

09-10-18
(दिनेश कुमार सिंह-II)
प्रमुख सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी
उ० प्र० शासन।

10/10/18